

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 761]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2025 — अश्विन 8, शक 1947

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 5-07/2024/10-2 (पार्ट).— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार के प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा इन शर्तों के अध्वधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपांतरित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड एकताल (अ) उत्तर अक्षांस N 21°47'55.175" से N 21°47'52.809" एवं पूर्वी देशांस E 83°29'3.077" से E 83°29'2.194" के बीच स्थित है, अर्थात् :-

अनुसूची

जिला:- रायगढ़,		तहसील:- पुसौर,		वनमण्डल:- रायगढ़,		परिक्षेत्र :- रायगढ़
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नं.	राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि की वर्तमान मद	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे.मे.)	अवस्थिति / सीमाये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	एकताल (अ)	एकताल 8	राजस्व वन भूमि	244 / 1 244 / 2	1.164 3.052	निकटतम वन कक्ष क्रमांक 1007 एवं उसकी दूरी- 1.02 कि.मी. उत्तर:- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 1 से 5 पूर्व:- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 5 से 9 दक्षिण:- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 9 से 11 पश्चिम:- कृत्रिम सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र. 11 से 1
			योग	2	4.216	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

- परियोजना का नाम – कार्यपालन अभियंता (सिविल), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राम –बोईरडीह, जिला-रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को विद्युत की आपूर्ति के लिए 132/33 के.व्ही. सब-स्टेशन की स्थापना (आवेदित वन रकबा 2.037 हे.)
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन व्यपवर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र क्र. FP/CG/Substation/414697/2023, दिनांक 30.04.2024
- छत्तीसगढ़, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण पत्र क्रमांक 1385/रा.नि.का. दिनांक 29.11.2023

अतएवं, उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्रमांक/एफ 5-07/2024/10-2 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 5-07/2024/10-2 (पार्ट) दिनांक 17-09-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रणय मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th September 2025

NOTIFICATION

No./F 5-07/2024/10-2(Part). — In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest block Ektal (A) lies between N 21°47'55.175" to N 21°47'52.809" north latitude and E 83°29'3.077" to E 83°92'2.194" east longitude, namely :-

SCHEDULE

Distt: Raigarh		Tahsil: Pussore	Forest Division: Raigarh		Forest Range: Raigarh	
S.No.	Name of Forest Block	Name of Village and Patwari Halka No.	Present Head of Land as per revenue record	Khasra No.	Area (in Ha.)	Situation/Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Ektal (A)	Ektal 8	Revenue Forest Land	244/1 244/2	1.164 3.052	Nearest forest compartment no. 1007 RF and its distance-1.02 Km. North:- Artificial boundary line survey pillar no. 1 to 5 East:- Artificial boundary line survey pillar no. 5 to 9 South:- Artificial boundary line survey

						pillar no. 9 to 11
						West:- Artificial boundary line survey pillar no. 11 to 1
			Total	2	4.216	

Reason for Publication of Notification:-

1. Name of the Project : Establishment of 132/33 KV SUB-STATION by Executive Engineer (Civil), C.G. State Power Transmission Company Ltd. for supplying electricity to Raigarh Medical College at Village Boirdih, dist. Raigarh (Proposed forest area to be diverted 2.037 ha.)
2. In principle approval of forest diversion given by Letter No. FP/CG/Substation/414697/2023 Dated 30.04.2024 of Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate change.
3. No objection certificate issued by Collector (Land record section), Raigarh Letter No. 1385/Raa.Ni.Ka. Dated-29.11.2023 in favour of Forest department, Chhattisgarh.

Therefore, the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of the Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Joint Secretary.